भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1469

उत्तर देने की तारीख : 29.07.2025

पीएम-दक्ष योजना के उद्देश्य

1469. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (पीएम-दक्ष) के विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं;

(ख) कौशल विकास हेतु यह राष्ट्रीय कार्य योजना किस प्रकार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जनजाति और कूड़ा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों तथा हाशिए पर पड़े व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है;

(ग) क्या प्रधानमंत्री-दक्ष के लिए बजट आवंटन में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): पीएम-दक्ष योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी), विमुक्त जनजातियों (डीएनटी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों जैसे विभिन्न लक्षित समूहों के योग्यता स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था ताकि उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन्हें स्व-रोजगार और वेतन-रोजगार दोनों में रोजगार योग्य बनाया जा सके। लक्षित समूह के अधिकांश व्यक्तियों के पास न्यूनतम आर्थिक परिसंपत्ति है; इसलिए, इन लाभवंचित लक्षित समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण/उत्थान के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना आवश्यक है।

इस योजना के अंतर्गत, कोई भी अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये से कम है, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जबकि अनुसूचित जातियों (एससी)/विमुक्त जनजातियों

(डीएनटी)/कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।

(ग) और (घ): इस योजना को वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 450 करोड़ रुपये की राशि के साथ अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत 130 करोड़ रुपये है।

*****